छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21/06/2024

क्रमांक/93/04/योजना/बीओसी/2024/ 157 :– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद् द्वारा छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना **"मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना"** के संबंध में संचालक मंडल के षष्ट्म कार्यकाल के प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10–9/2011/16 रायपुर दिनांक 04.06.2011 एवं अधिसूचना क्रमांक 25 एफ–17/2012/16 दिनांक 24.01.2013 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान में बिन्दु क्रमांक **(ii)** एवं **(iii)** में अंशिक संशोधन तथा अधिसूचना के कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक **(ii)** एवं **(iii)** को सम्मिलित कर निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंतः स्थापित किया जाता है :–

मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना :–

कण्डिका (अ) योजना का प्रावधान में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) में आंशिक संशोधन किया जाता है :–

(अ)(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु मंडल द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदाय की जावेगी के **स्थान पर –**

"योजना के तहत् निर्माण श्रमिकों के निर्माणाधीन कार्य स्थल, चावड़ी, जिले में आयोजित जन शिकायत निवारण शिविर एवं श्रमिक सम्मलेन, शिविर में श्रमिको के पंजीयन, नवकरण उक्त वेन के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किये जाने की सुविधा प्रदान की जावेगी।"

(अ)(iii) उक्त योजना में होने वाले संपूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा के **स्थान पर –**

"उक्त योजना में होने वाले संपूर्ण व्यय (वाहन के ईंधन, वाहन मरम्मत, 01 कम्प्यूटर सेट/टेबलेट, 01 डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं 01 वाहन चालक का व्यय) छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा वहन किया जावेगा।"

कण्डिका (ब) योजना हेतु पात्रता में बिन्दु क्रमांक (ii) एवं (iii) को सम्मिलित किया जाता है–

(ब)(ii)योजना की पात्रता में निर्माण श्रमिक अधिसूचित प्रवर्गों में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहा हो अथवा पंजीकृत हो।

(ब)(iii)योजनांतर्गत प्रदाय वेन में मंडल में संचालित योजना एवं पंजीयन संबंधी प्रावधान प्रदर्शित किया जायेगा।

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।)
उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।
(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

21/6/2024

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

पृष्ठां0 क्रमांक/93/04/योजना/बीओसी/2024/1948–1964 अटल नगर, दिनांक 21/06/202

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, खण्ड–03, व्दितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल खण्ड–03, व्दितीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त, जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।

11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय ....(छ0ग0)।
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में **निःशुल्क** प्रकाशन हेतु।
14. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने हेतु प्रेषित् कर लेख है कि, कृपया प्रकाशित राजपत्र की 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
15. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
16. एन0आई0सी0 शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
17. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

11/6/2024

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

आदेश

दिनांक 24/01/2013

कमांक 25 एफ–17/2012/16, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रम विभागीय आधिसूचना कमांक एफ 10–9/2011/16, रायपुर दिनांक 04.06.20111 द्वारा " संजीवनी एम्बुलेंस योजना" प्रदेश में संचालित है । किन्तु प्रदेश में "108 एम्बुलेंस योजना" प्रारंभ होने से संजीवनी एम्बुलेंस योजना की उपयोगिता कम हो जाने से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वितीय कार्यकाल के चतुर्थ बैठक दिनांक 28.07.2012 में लिये निर्णय अनुसार "संजीवनी एम्बुलेंस योजना" का नाम "मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन" किया जाता है ।

उपरोक्त आदेश दिनांक 05.09.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी ।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मण्डल

पृ0क0 / / 6503- 6536 रायपुर, दिनांक 29/01/13

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, [illegible]ालय, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. **अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)**
8. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी ....छ0ग0)
11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका ....कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ....
13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख हैं, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :—

रायपुर,दिनांक: 04/06/2011

क्रमांक एफ 10–9/2011/16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है।

संजीवनी एम्बुलेंस योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "**संजीवनी एम्बुलेंस योजना, 2011**" होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु मण्डल द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदाय की जावेगी।

(iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा।

(iv) योजना के प्रावधान मण्डल बैठक दिनांक 30/04/2010 को हुये निर्णय से प्रभावशील होगा।

(ब) **योजना हेतु पात्रताः—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(स) **स्वीकृति का अधिकारः—**

(i) योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय की स्वीकृति का अधिकार स्थानीय सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(द) अन्य विवरणः—

(i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव / अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Kuhi

(के0डी0 कुंजाम)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 10—9 / 2011 / 16, रायपुर, दिनांकः 04 / 06 / 2011.

प्रतिलिपिः—

1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

2 स्टाफ आफिसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)

3 श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

4 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)

5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

6 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर

7 सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी.............................. (छ0ग0)

8 उप / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ... (छ0ग0)

9 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Kuhi

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग